कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/एस.डी.एम.सी./2011/ दिनांक 25/3/2011

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान।

विषयः—नवक्रमोन्नत विद्यालयों में SDMC/SMDC के गठन के क्रम में।
प्रसंगः—परिषद् के पत्र क्रमांक 452 दिनांक 28/01/2010।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं सम्बलन हेतु विभिन्न मदों हेतु राशि दी जा रही है। राशि का उपयोग सम्बन्धित विद्यालय में विद्यालय प्रबन्धन समिति के द्वारा ही किया जाना है।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के उक्त प्रासंगिक पत्र के द्वारा SDMC के पुर्नगठन एवं गठन के सम्बन्ध में निर्देश दिये जा चुके हैं, परन्तु कतिपय जिलों के नवक्रमोन्नत विद्यालयों के संबंध में प्राप्त जानकारी से प्रतीत हो रहा है कि परिषद् द्वारा दिनांक 28/01/2010 को जारी पत्र को लेकर कुछ भ्रान्ति है।

इस भ्रान्ति को दूर करने हेतु अब तक जारी हुए समस्त आदेशों की पालना को ध्यान में रखते हुए एक SDMC/SMDC कार्यकारिणी में सभी सदस्यों की एक समेकित सूची आपको प्रेषित की जा रही है। यह समेकित सूची निम्न प्रकार हैः—

1. अध्यक्ष — प्राचार्य/प्रधानाध्यापक
2. सदस्य सचिव — संस्था प्रधान द्वारा अध्यापकों में से चयनित।
3. लेखाकार/कैशियर — विद्यालय में कार्यरत कैशियर/लेखाकार
4. सदस्यः—

i.	अभिभावकों में से मनोनीत (1SC, 1ST, 1 महिला व 1 कोई भी अभिभावक)	—	4 सदस्य
ii.	जिशिअ द्वारा मनोनीतः		
	(a) निर्वाचित पंचायती राज/नगरपालिका सदस्यों में से	—	3 सदस्य
	(b) अधिकारी	—	1 सदस्य
iii.	जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मनोनीत—विज्ञान, मानविकी एवं कला/संस्कृति/क्राफ्ट की पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति	—	3 सदस्य
iv.	उपखण्ड अधिकारी द्वारा मनोनीत	—	1 सदस्य
v.	विधायक द्वारा मनोनीत		2 सदस्य
vi.	10वीं या 12वीं कक्षा में अध्ययनरत 1 छात्र जिसने क्रमशः 8वीं या 10वीं कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किये हैं	—	1 सदस्य
vii.	राज्य/संभाग/जिला स्तर पर सम्मानित भामाशाह (SMDC/SDMC के कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले भामाशाह)	—	1 सदस्य
viii.	अध्यापक—सा.वि., विज्ञान व गणित विषय प्रत्येक का 1 अध्यापक	—	3 सदस्य
ix.	अन्यः		
	• शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े समुदाय का व्यक्ति	—	1 सदस्य
	• ग्राम शिक्षा विकास समिति का सदस्य	—	1 सदस्य
	• महिला समूहों का सदस्य	—	1 सदस्य
x.	उप समितियाँ — दो		
	(a) विद्यालय भवन समिति		
	1. प्राचार्य/प्रधानाध्यापक	—	अध्यक्ष
	2. पंचायत या स्थानीय शहरी निकाय के प्रतिनिधि	—	1 सदस्य
	3. अभिभावक	—	1 सदस्य
	4. निर्माण कार्य से जुड़े अनुभवी व्यक्ति—SSA के इंजीनियर	—	1 सदस्य
	5. लेखा/ऑडिट शाखा का व्यक्ति	—	1 सदस्य
	(b) शैक्षिक समिति		
	1. प्राचार्य/प्रधानाध्यापक	—	अध्यक्ष
	2. अभिभावक	—	सदस्य
	3. निम्न में से प्रत्येक क्षेत्र का एक विशेषज्ञ— (1) विज्ञान या गणित (2) मानविकी (3) कला/संस्कृति/क्राफ्ट/खेलकूद आदि प्रत्येक क्षेत्र का विशेषज्ञ	—	3 सदस्य
	4. प्राचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा चयनित विद्यार्थी	—	1 सदस्य

अब आपको आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार सदस्यों का मनोनयन नियुक्ति करवाते हुए आवश्यकता विद्यालय विकास समितियों का गठन/पुर्नगठन करावें।

आयुक्त
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/मा/ एस.डी.एम.सी./2011/ दिनांक 25/3/2011

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वरिष्ठ लेखाधिकारी RCSE, जयपुर।
2. उपनिदेशक मा.शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
3. उपनिदेशक मा.शिक्षा, समस्त संभाग।
4. सहायक निदेशक समस्त RCSE, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक।
6. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर